



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 30 अप्रैल, 2026 ई०

बैशाख 10, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या- 510/VIII-1/2026-228(श्रम)/2001

देहरादून, 30 अप्रैल, 2026

अधिसूचना/संशोधन

राज्य में 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियंत्रण इकाइयों/उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों की अंतरिम न्यूनतम मजदूरी निर्धारण विषयक शासन की अधिसूचना सं०- 391604/VIII-1/26-228(श्रम)/2001 दिनांक 29 अप्रैल, 2026 के प्रस्तर 6 एवं 7 की तालिका में अर्द्धकुशल के सम्मुख अंकित 15000 के स्थान पर 15100 पढ़ा एवं समझा जाय।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डा० श्रीधर बाबू अददांकी,
सचिव।